

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 176 सन 2020

अनवान :-

1. बनवारीलाल पुत्र जीवनदास जाति स्वामी निवासी भुकरका तहसील नोहर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 18/3/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 42/34 की कुल 5.9060हैक् व रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 854/453 की कुल 9.4090हैक् भूमि सायल के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है।

उक्त भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सायल का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु सायल निवास स्थान सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।

सायल का निवास स्थान भुकरका तहसील नोहर है जबकि राजस्व रिकार्ड में सायल का निवास स्थान भगवानसर अंकित है तो गलत है सायल अपना निवास स्थान सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल के अन्य सभी दस्तावेजात में निवास स्थान भुकरका तहसील नोहर अंकित है।

सायल ने अपने निवास स्थान के समर्थन में आम आदमी का आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक पेश किया जिनमें सायल का निवास स्थान भुकरका तहसील नोहर दर्ज है।

सायल का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल का राज्य सरकार से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है इसलिये सायल अपना निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में सायल का निवास स्थान संशोधन करने के आदेश फरमावे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 42/34 की कुल 5.9060हैक् व रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 854/453 की कुल 9.4090हैक् भूमि सायल के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है।

उक्त भूमि सायल के नाम बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय सायल का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु सायल निवास स्थान सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया।

सायल का निवास स्थान भुकरका तहसील नोहर है जबकि राजस्व रिकार्ड में सायल का निवास स्थान भगवानसर अंकित है तो गलत है सायल अपना निवास स्थान सही तौर से

राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल के अन्य सभी दस्तावेजात में निवास स्थान भुकरका तहसील नोहर अंकित है ।

सायल ने अपने निवास स्थान के समर्थन में आम आदमी का आधार कार्ड , भारत निर्वाचन आयोग का फोटो पहचान पत्र , बैंक पास बुक पेश किया जिनमें सायल का निवास स्थान भुकरका तहसील नोहर दर्ज है ।

सायल का निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल का राज्य सरकार से दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पा रही है इसलिये सायल अपना निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 42/34 की कुल 5.9060 हैक् व रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 854/453 की कुल 9.4090 हैक् भूमि सायल के नाम से बतौर खातेदार काश्ताकार दर्ज है ।

सायल का कथन है सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है किन्तु निवास स्थान गलत तौर से दर्ज है जिसे सही करवाना चाहता है ।

सायल ने अपने कथनों के समर्थन में आम आदमी का आधार कार्ड , भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र बैंक पास बुक , जाति प्रमाण पत्र पेश किया जिनमें सायल का निवास स्थान भुकरका तहसील नोहर अंकित है एवं निवास स्थान के समर्थन में स्वयं ने शपथ पत्र अन्य ग्राम/चकों की जमाबन्दीया भी पेश की सायल के प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार सायल का निवास स्थान भुकरका तहसील नोहर होना प्रतीत होता है । प्रस्तुत साक्ष्यों/सबुतो के अधार प्रार्थी अपना निवास स्थान राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जा सकता है संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 42/34 की कुल 5.9060 हैक् व रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 854/453 की कुल 9.4090 हैक् भूमि में सायल का निवास स्थान भगवानसर अंकित है के स्थान पर भुकरका तहसील नोहर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर ( हनुमानगढ़ )

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर ( आर.ए.एस)

अनवान :-

1. बनवारीलाल पुत्र जीवनदास जाति स्वामी निवासी भुकरका तहसील नोहरजिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 176 सन 2020 निर्णय दिनांक- 18/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता

वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 42/34 की कुल 5.9060 हैक् व रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 854/453 की कुल 9.4090 हैक् भूमि में सायल का निवास स्थान भगवानसर अंकित है के स्थान पर भुकरका तहसील नोहर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/3/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )  
नोहर